ए. एस. गर्ग के समक्ष जे.

हरि सिंह नलवा,-याचिकाकर्ता

बनाम

कर्तार सिंह भडाना और अन्य,-उत्तरदाता

2000 का ई. पी. सं. *9*

10नवंबर, 2000

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, *1951*-धारा *9*-ए-भारत का संविधान, *1950*।—अनुच्छेद *191*-खान और खनिज *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1957*। *2, 14, 15* और *18*-पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, *1964*-आरएल। *2*-हरियाणा विधानसभा के लिए आम चुनाव-उत्तरदाता संख्या *1* ने सबसे अधिक वोट प्राप्त करके निर्वाचित घोषित किया-हरियाणा राज्य द्वारा एक साझेदारी फर्म के साथ किए गए लघु और प्रमुख खनिजों के निष्कर्षण के लिए अनुबंध-उत्तरदाता उस फर्म का एक भागीदार-नामांकन पत्र दाखिल करने के समय मौजूद अनुबंध-क्या इस प्रकार के अनुबंध चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार होने की अयोग्यता का गठन करते हैं-आयोजित, हाँ-ऐसे अनुबंध एस के दायरे में आते हैं:*9-1951* के अधिनियम का ए-प्रतिवादी का चुनाव अवैध और असंवैधानिक होने को दरकिनार करते हुए और याचिकाकर्ता को हरियाणा विधानसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया।

माना जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति को अनुबंध के तहत बड़े या छोटे खनिजों के निष्कर्षण के लिए पट्टा दिए जाने के बाद, इसका अर्थ है सरकार द्वारा किए गए कार्यों के निष्पादन के लिए अनुबंध और यह स्पष्ट रूप से 1951 के अधिनियम की धारा 9-ए के दायरे में आता है। ठेकेदार सरकार का प्रतिनिधि होता है और सरकार की ओर से अनुबंध का निष्पादन कर रहा होता है।अनुबंध के ऐसे नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए, यह निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 9-ए के दायरे में आएगा।

ऐसे अनुबंधों के अस्तित्व के कारण, प्रत्यर्थी संख्या 1 को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

(पैरा 41 & 43)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 191 किसी भी राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं को निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में चुने जाने और विधान सभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद रखता है।अधिनियम की धारा 9-ए में भी यही समानता लागू की गई है, जिसके अनुसार सरकार को माल की आपूर्ति या किसी भी सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध रखने वाले व्यक्ति को राज्य विधानमंडल या संसद का कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।एक सदस्य स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है यदि वह एक अनुबंध रखता है जिसमें कार्यपालिका भी

एक पक्ष है और इस प्रकार वह संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत या अधिनियम की धारा 9-ए के तहत अयोग्य होने के लिए उत्तरदायी है।

(पैरा 44)

इसके अलावा यह भी कहा गया कि यह वस्तुओं की आपूर्ति का मामला नहीं है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा लघु और प्रमुख खनिजों के निष्कर्षण के लिए किए गए अनुबंध का मामला है।ऐसे मामले में जहां अनुबंधों का निष्पादन और यह तथ्य कि अनुबंध वास्तव में किए जा रहे हैं, मौजूदा अनुबंधों के तहत, प्रतिवादी संख्या 1 बाहर नहीं निकल सका।एक व्यक्ति जो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए भी बिल्कुल सक्षम नहीं था, उसे विधानसभा के सदस्य के रूप में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का चुनाव अवैध माना जाता है और याचिकाकर्ता के लिए विधानसभा चुनाव में प्राप्त वैध मतों को देखते हुए निर्वाचित घोषित करने पर कोई रोक नहीं है।

(पैरा 52 और 55)

आर. के. मलिक, अधिवक्ता, जगबीर मलिक के साथ, याचिकाकर्ता के लिए।

एस. सी. कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष कपूर के साथ, प्रतिवादी संख्या १ और रजिन्दर चौकर, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या ९ के लिए।

निर्णय

ए. एस. गर्ग जे.

1. जनरल चुनाव हरियाणा विधानसभा के लिए जनवरी/फरवरी, २००० में आयोजित होने वाले थे। याचिकाकर्ता श्री हरि सिंह नलवा का दावा था कि वह १८-स्मालखा विधानसभा क्षेत्र, जिला पानीपत के लिए कांग्रेस के नामांकित उम्मीदवार थे। प्रतिवादी संख्या १ श्री करतार सिंह भड़ाना उसी क्षेत्र के लिए 'लोक दल' के नामांकित थे। शेष प्रतिवादी अन्य उम्मीदवार थे जिन्होंने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। वास्तव में चुनाव २२ फरवरी, २००० को हुआ। प्रतिवादी संख्या १ को चुना गया क्योंकि उन्होंने ३७,१७४ वोट प्राप्त किए।

2. अब याचिकाकर्ता ने वर्तमान चुनाव याचिका लाई है जिसमें प्रतिवादी संख्या १ के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उन्होंने सबसे ज्यादा वैध वोट प्राप्त किए और चूँकि प्रतिवादी संख्या १ उम्मीदवार बनने के योग्य नहीं थे उनके नामांकन पत्रों को अस्वीकार किया जाना चाहिए था, और इसलिए, प्रतिवादी संख्या १ का चुनाव अवैध और असंवैधानिक होने के कारण निरस्त किया जाए और याचिकाकर्ता को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए।

3. हरियाणा विधानसभा के लिए सामान्य चुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किए गए थे:

(i) नामांकन दाखिल करने की तिथि	27.1.2000
(ii) नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि	3.2.2000
(iii) जांच की तिथि	4.2.2000

(iv) प्रतीक चिह्न आवंटन और नाम वापसी की तिथि 7.2.2000

(v) मतदान की तिथि 22.2.2000

(vi) परिणाम घोषित की गई तिथि 25.2.2000

4. चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों के नाम और उनके द्वारा प्राप्त किए गए मतों का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	प्राप्त मत
(1)	करतार सिंह भड़ाना	37,174
(2)	गोरी शंकर	421
(3)	रमेश चंद	3,483
(4)	हरि सिंह नलवा	25,159
(5)	जनेश्वर	723
(6)	अमोलक राज	384
(7)	अरुण	211
(8)	ऋषि प्रकाश	2,343
(9)	चरण सिंह	179
(10)	बलराज छोकर	256
(11)	राजेंदर	326
(12)	सुरेंदर	16,722
(13)	पी.पी. कपूर	252

5. मोटे तौर पर कहें तो, याचिकाकर्ताओं के आरोप यह हैं कि प्रतिवादी संख्या १ हरियाणा राज्य से लघु और महत्वपूर्ण खनिजों के उत्खनन के लिए पांच अनुबंध रख रहे हैं और वे अनुबंध नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के समय भी सक्रिय थे और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9-ए के प्रावधानों के अनुसार, ऐसा व्यक्ति उस चुनाव में उम्मीदवारी के लिए योग्य नहीं था क्योंकि वह व्यक्ति राज्य से अनुबंध के तहत लाभ प्राप्त कर रहा था, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उन अनुबंधों का संचालन किया जा रहा था।

6. याचिकाकर्ता ने उन अनुबंधों का संक्षिप्त विवरण बताया है जो प्रतिवादी संख्या १ के पास थे। मूल अनुबंध प्रदर्शनी R.1 से प्रदर्शनी R.5 तक हैं जबकि उनकी फोटोस्टेट प्रतियाँ प्रदर्शनी P.1 से P.5 तक हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या १ के पास 7 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2000 तक तीन साल के लिए आलापुर क्वारी के लिए सड़क धातु और राजमिस्त्री पत्थर के उत्खनन से संबंधित एक अनुबंध था और प्रतिवादी संख्या १ इससे 50 प्रतिशत तक का लाभ उठा रहा था। यह अनुबंध मेसर्स मोहन राम एंड कंपनी के नाम पर था जिसके प्रतिवादी संख्या १ साझेदार हैं।

7. प्रतिवादी संख्या १ के पास एक अन्य अनुबंध था जो पट्टा करार दिनांक 10 जून, 1980 के अनुसार 20 वर्षों के लिए यानी 10 जून, 2000 तक सामान्य बालू और सिलिका बालू, एक प्रमुख खनिज के उत्खनन के लिए था जो गाँव आनंगपुर, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद की खानों के संदर्भ में था और कथित रूप से प्रतिवादी संख्या १ उक्त अनुबंध के तहत लाभ ले रहा था और यह अनुबंध प्रतिवादी संख्या १ द्वारा हरियाणा राज्य के साथ किया गया था।

8. एक अन्य अनुबंध दिनांक 13 फरवरी, 1998 का था जो 19 नवंबर, 1997 से 31 मार्च, 2000 तक मुर्तज़ाबाद ज़ोन की रेत क्वारी के पट्टे के लिए था जिसमें घोरी, गुरवारी, रहीमपुर, हंसापुर, मुर्तज़ाबाद और फतास्को नगर गांव शामिल थे। इसे उत्खनन

कार्य होने का दावा किया गया था। अभी एक और अनुबंध दिनांक 13 फरवरी, 1998 का था जो 19 नवंबर, 1997 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए सामान्य रेत के उत्खनन के लिए था जो बसंतपुर ज़ोन से संबंधित था जिसमें बसंतपुर, अगवानपुर, महाबेतपुर, राजपुर कलां, मंझावली, अलीपुर, सिकरगह, दुन्गेरपुर क्वारीज़ गांव बसंतपुर तहसील और जिला फरीदाबाद शामिल थे।

9. अभी एक और अनुबंध दिनांक 13 फरवरी, 1998 का था जो अवधि 19 नवंबर, 1997 से 31 मार्च, 2000 तक डालेलगढ़, तहसील और जिला फरीदाबाद की रेत क्वारीज़ के संदर्भ में था और इससे हरियाणा सरकार से समान लाभ प्राप्त किया गया था।

10. तो, याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या १ उपरोक्त पाँच अनुबंधों को मेसर्स मोहन राम एंड कंपनी, एल-116, कीर्ति नगर, नई दिल्ली के नाम पर रखे हुए हैं, जो हरियाणा सरकार के साथ खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और संसद द्वारा पारित खनिज रियायत नियमों के अंतर्गत हैं, जिससे राज्य सरकार को लघु खनिज आदि के संबंध में नियम बनाने की अनुमति मिलती है। प्रतिवादी संख्या १ हरियाणा सरकार से हरियाणा सरकार द्वारा किए गए कार्य निष्पादन से बड़े लाभ अर्जित कर रहा था।

11. नामांकन पत्र 27 जनवरी, 2000 से 3 फरवरी, 2000 के बीच दाखिल किए गए थे। जांच की तारीख 4 फरवरी, 2000 थी। याचिकाकर्ता को कथित तौर पर इन अनुबंधों के अस्तित्व के बारे में 6 फरवरी, 2000 को पता चला। हालांकि, इस बीच नामांकन पत्रों को निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने स्वीकार कर लिया था। प्रतिवादी संख्या १ की अयोग्यता के बारे में जानने के बाद, याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया कि उसने चुनाव प्रचार के दौरान 50,000 पैम्फलेट्स छपवाए और बांटे गए और भाषणों में यह तथ्य उजागर किया गया कि प्रतिवादी संख्या १ एक योग्य उम्मीदवार नहीं थे और लोगों से उन्हें वोट न देने का आग्रह किया गया। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या १ के चुनाव को अधिनियम की धारा 9-ए के तहत इस आधार पर चुनौती दी गई कि प्रतिवादी संख्या १ उसे लड़ने के लिए विधिवत योग्य उम्मीदवार नहीं थे: उनके नामांकन पत्रों को अवैध रूप से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया और वहीं को अस्वीकार किया जाना चाहिए था। इसलिए उसने खुद को चुना हुआ घोषित करने का दावा किया।

12. प्रतिवादी संख्या १, जो इस याचिका में मुख्य प्रतियोगी है, ने एक लिखित बयान दाखिल किया और यह दलील पेश की कि चुनाव याचिका में महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया था और इसमें काम के संचालन के स्थानों और अनुबंधों के अन्य विवरणों का उल्लेख नहीं था और इनके अभाव में याचिका को बहुत पहले ही खारिज किया जा सकता था। यह भी दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता ने नामांकन पत्रों के विचाराधीन होने के समय कोई आपत्ति नहीं उठाई थी और इसलिए याचिका आगे नहीं बढ़ सकती और सफल नहीं हो सकती थी। यह भी कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या १ राज्य सरकार से लाभ नहीं उठा रहा था और इस प्रकार के अनुबंध कोई अयोग्यता नहीं बनाते थे। हरियाणा राज्य को कोई माल आपूर्ति नहीं की जा रही थी और, इसलिए, लाभ उठाने का प्रश्न वैसे ही कानून के चार कोनों के अंदर नहीं आता था और याचिकाकर्ता उक्त कानूनी प्रावधानों की गलत व्याख्या कर रहा था और योग्यता के आधार पर भी याचिका खारिज की जाने वाली थी।

13. प्रतिवादी संख्या ९, चरण सिंह और प्रतिवादी संख्या १२, सुरेंदर, जिन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उन्होंने अपने लिखित बयानों में याचिका में किए गए दावों का समर्थन

किया है और प्रार्थना की है कि यदि प्रतिवादी संख्या १ को अयोग्य पाया जाता है, तो उनका चुनाव रद्द किया जा सकता है।

14. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल लिखित बयान के जवाब में याचिकाकर्ता ने फिर से विस्तार से उल्लेख किया और यह जोर दिया कि सभी खनन कार्य हरियाणा सरकार के पास हैं और वे हरियाणा राज्य द्वारा ही किए जा रहे थे और यह सीधे सरकार की देखरेख में किया जा रहा था हालांकि ठेकेदारों को इसमें लगाया गया था। प्रतिवादी संख्या १ अनुबंधों के तहत विभिन्न खनन कार्य कर रहा था। यह भी दावा किया गया था कि अनुबंधों के तहत ऊपर उल्लेखित सभी खानें हरियाणा सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर थीं। यह हरियाणा राज्य का परम कर्तव्य था कि वह खानों और खनिजों का विकास स्वयं करे या किसी विधिवत अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से करे। यह भी विशेष रूप से दावा किया गया था कि प्रतिवादी संख्या १ के पास हरियाणा सरकार के साथ साधारण रेत के उत्खनन के अनुबंध थे और वह अपने व्यापार और व्यवसाय के साधारण क्रम में लाभ उठा रहा था। इसलिए, यह दोहराया गया कि प्रतिवादी संख्या १ राज्य विधानसभा के सदस्य होने के लिए अयोग्य थे।

15. पक्षों की याचिकाओं पर, निम्नलिखित मुद्दे सामने रखे गए थे:

(1) क्या वर्तमान चुनाव याचिका कानून के तहत खुलासा किए जाने वाले मौलिक तथ्यों और परिस्थितियों को प्रकट नहीं करती है। यदि हाँ, तो क्या चुनाव याचिका रद्द/अस्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि यह बनाए रखने योग्य नहीं है? ओ.पी.आर.

(2) क्या प्रतिवादी संख्या १ द्वारा हरियाणा सरकार के साथ सामान्य बालू और सिलिका बालू तथा चुनाव याचिका के पैराग्राफ ५, ६ और ११ में उल्लिखित अन्य खनिजों आदि के निष्कर्षण के लिए किए गए अनुबंधों और इन अनुबंधों/समझौतों के निष्पादन से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ९-ए के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, जैसा कि लिखित बयान में दावा किया गया है? ओ.पी.आर.

(3) क्या प्रतिवादी संख्या १ का चुनाव जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ९-ए के तहत प्रदान किए गए अयोग्यताओं को देखते हुए शून्य है और क्या उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए था? ओ.पी.पी.

(4) क्या प्रतिवादी संख्या १ का हरियाणा राज्य विधानसभा के लिए नामांकन गलत तरीके से स्वीकार किया गया था जैसा कि दावा किया गया है? यदि हां, तो किस प्रभाव के साथ? ओपीपी

(5) क्या याचिकाकर्ता के सफल होने की स्थिति में, क्या उसे निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार है? ओपीपी

(6) राहत

16. प्रतिवादी संख्या १ चाहते थे कि अदालत प्रारंभिक मुद्दे पर सुनवाई करे कि याचिका में महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं हुआ है और याचिका को बहुत प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाए। लेकिन चूँकि याचिका में ही पैराग्राफ 5 से 9 में उपरोक्त अनुबंधों के संदर्भ में उल्लेख किया गया था, इसलिए, इस अदालत ने देखा कि

मामले को प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय किया जाना संभव नहीं था। चूंकि प्रश्न तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न थे, इसलिए, साक्ष्य दर्ज किए जाने थे।

17. याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में श्री बी.के. गौबा पी.डब्लू. 1, हरियाणा के खान और भूविज्ञान विभाग के एक खनन इंजीनियर को पेश किया। उन्होंने मूल अनुबंध/पट्टा समझौतों को रिकॉर्ड पर रखा और उनकी फोटोस्टेट प्रतियों को भी एक्जिबिट P1 से P5 के रूप में रखा। उन्होंने उल्लेख किया कि श्री करतार सिंह भड़ाना ने इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे जो मेसर्स मोहन राम एंड कंपनी के बीच हरियाणा राज्य के साथ किए गए थे। ये वह समझौते हैं जो प्रतिवादी संख्या 1 और हरियाणा राज्य के बीच किए गए थे। गवाह ने अपने क्रॉस-एक्जामिनेशन में बताया कि इन समझौतों के तहत हरियाणा सरकार को कोई सामग्री आपूर्ति नहीं की जा रही थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इन समझौतों के द्वारा, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, प्रतिवादी संख्या 1 और हरियाणा राज्य के बीच किए गए, इन समझौतों का संचालन हरियाणा राज्य द्वारा किया जा रहा था।

18. श्री एम.आर. आनंद पी.डब्ल्यू. २, उपायुक्त-सह-जिला चुनाव आयुक्त, पानीपत ने बताया कि याचिकाकर्ता ने मूल रजिस्टर प्रदर्शनी पी6 और पी7 प्रस्तुत किए और चुनावों के नियमों और विनियमों का पालन किया और याचिकाकर्ता ने चुनाव की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। उपायुक्त ने यह भी बताया कि पैम्फलेट, जिसकी प्रति प्रदर्शनी पी.८ थी, को सार्वजनिक रूप से वितरित करने के लिए छपवाने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने याचिकाकर्ता को पांच लाउड स्पीकरों का उपयोग करने की भी अनुमति दी थी, अर्थात् तीन सार्वजनिक सभाओं के लिए और दो प्रचार के लिए जो वाहनों पर ८ फरवरी, २००० से २० फरवरी, २००० तक किया जाना था। उन्होंने याचिकाकर्ता को ८ फरवरी, २००० को सात वाहनों का उपयोग करने, ११ फरवरी, २००० को पांच वाहनों का, १२ फरवरी, २००० को तीन वाहनों का और १५ फरवरी, २००० को दो वाहनों का उपयोग करने की अनुमति भी दी।

19. श्री रतन लाल शर्मा पी.डब्लू. 3 फरीदाबाद जिला अदालतों के एक वकील हैं। उन्होंने याचिकाकर्ता को सूचित करने का दावा किया कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त चुनाव में प्रतियोगिता नहीं कर सकते। यह जानकारी उन्होंने 6 फरवरी, 2000 को याचिकाकर्ता को दी थी। गवाह ने दावा किया कि इसी तरह के अनुबंध श्री राम चंदर बंदा के साथ भी थे, जो फरीदाबाद से मौजूदा संसद सदस्य हैं और उन्होंने श्री बंदा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी, जो अभी भी लंबित है।

20. श्री अतुल गुप्ता पी.डब्लू. 4 ने दावा किया कि पैम्फलेट्स, जिनका एक नमूना एक्जिबिट P12 था और जिनके मूल प्रतियां एक्जिबिट P10 और P11 थे, उन्हें उन्होंने छापा था।

21. श्री हरि सिंह नलवा, याचिकाकर्ता स्वयं पी.डब्लू. 5 के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का चुनाव अवैध और असंविधानिक था। उन्होंने दावा किया कि प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त समझौतों के तहत हरियाणा राज्य सरकार से संबंधित कार्य के लिए लाभ उठा रहा था जो हरियाणा राज्य द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने सोलेमन अफर्मेशन पर यह भी कहा कि उन्हें रतन लाल

शर्मा पी.डब्लू. 3 द्वारा सूचित किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 सरकार के साथ अनुबंध रखता था और उक्त अनुबंधों के तहत लाभ उठा रहा था और वह उम्मीदवार होने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं था। इसकी जानकारी उन्हें 6 फरवरी, 2000 को दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भाषण दिए और उपरोक्त पैम्फलेट वितरित करवाए और मतदाताओं को बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 एक सक्षम व्यक्ति नहीं था जो कानून के अनुसार उक्त चुनाव में उम्मीदवार हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने खुद चुनाव में भाग लेने के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन किया था। उन्होंने उपायुक्त और अन्य प्राधिकरणों से लाउड स्पीकरों के उपयोग, भाषण देने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त की थीं और किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। और उन्होंने जोर दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव को अवैध घोषित किया जाए और उन्हें चुना गया घोषित किया जाए।

22. श्री अरविंद जैन पी.डब्ल्यू. ६, प्रेस अधिनियम के तहत घोषणा प्रदर्शनी पी९ के गवाह हैं। आबिद मुस्ताकीम पी.डब्ल्यू. ७ वह व्यक्ति थे जो याचिकाकर्ता के चुनाव में खर्च से संबंधित खातों का रख-रखाव कर रहे थे। विनेय नलवा पी.डब्ल्यू. ८, लेहना सिंह पी.डब्ल्यू. ९, विनोद कुमार पी.डब्ल्यू. १०, मदन लाल पी.डब्ल्यू. ११, और जतिंदर छाबड़ा पी.डब्ल्यू. १२ वे गवाह हैं जो यह कहने के लिए हैं कि मतदाताओं को चुनावी सभाओं में यह बताया जाता था कि प्रतिवादी संख्या १ एक सक्षम उम्मीदवार नहीं है और उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। उन्होंने पैम्फलेट बांटे और वे अन्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में चुनावी सभाओं में उपस्थित रहे।

23. दूसरी ओर, श्री करतार सिंह भड़ाना, प्रतिवादी संख्या 1, आरडब्लू.1 के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने दावे को फिर से दोहराया और मूल अनुबंधों एक्जिबिट आर.1 से एक्जिबिट आर.5 पर हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की लेकिन यह कहा कि वह इन अनुबंधों से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे थे और इन अनुबंधों के तहत कार्य हरियाणा राज्य द्वारा नहीं किए जा रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सभी पैम्फलेट चुनावों के बाद छपवाए और बनवाए गए थे और याचिकाकर्ता हार चुका था। उन्होंने दावा किया कि वह चुनाव लड़ने के लिए सक्षम थे।

24. श्री हरि राम आर.डब्ल्यू.२ और श्री कविंदर सिंह आर.डब्ल्यू. ३ ने दावा किया कि प्रतिवादी संख्या १ चुनाव लड़ने के लिए सक्षम था और याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या १ की अयोग्यता के बारे में कोई प्रचार नहीं किया गया था।

25. रिकॉर्ड पर साक्ष्य का संदर्भ देने के बाद, विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत कानून का उल्लेख किया जाएगा। याचिकाकर्ता के लिए श्री आर.के. मलिक, विद्वान अधिवक्ता ने कोनप्पा रुद्रप्पा नाडगौडा बनाम विश्वनाथ रेड्डी और अन्य[1] के अपेक्ष कोर्ट के प्राधिकरण का संदर्भ दिया है जिसमें एक साझेदारी फर्म द्वारा सरकार के साथ किए गए सड़क और अस्पताल भवन के निर्माण के अनुबंधों में एक शर्त शामिल थी कि एक निश्चित अवधि के लिए ठेकेदार सभी दोषपूर्ण भागों की उचित मरम्मत करेंगे और यह माना गया था कि धारा 9A केवल इसलिए लागू नहीं थी क्योंकि अनुबंध एक फर्म के साथ

[1] एआईआर 1969 एससी 447

था और व्यक्ति के साथ नहीं। कानून यह आवश्यकता रखता है कि एक उम्मीदवार को सरकार के साथ किसी भी अनुबंध में कोई हित नहीं होना चाहिए और एक साझेदार के पास धारा 9A के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हित होता है।

26. उन्होंने अधिनियम की धारा ९ए से संबंधित चुनाव कानूनों में शब्दों और वाक्यांशों में आइटम संख्या ५२ का भी उल्लेख किया। तब उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बेंच के अधिकार का उल्लेख किया, जो कि सत्य प्रकाश बनाम बशीर अहमद कुरैशी[2] मामले में था, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि सरकार के अधीन लाभ के पद के धारण की अयोग्यता के संचालन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उम्मीदवार स्वयं ही उस पद को धारण करे। बी. लक्ष्मीकांत राव बनाम डी. छिन्न मलैया और अन्यों[3] में, यह निर्णय दिया गया था कि धारा ९-ए के तहत अन्य आवश्यकताओं के अलावा एक आवश्यकता यह है, सब्सिस्टिंग अनुबंध सरकार को सामान की आपूर्ति के लिए या सरकार द्वारा किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए होना चाहिए।

27. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने फिर अपेक्ष कोर्ट में रणजीत सिंह बनाम हरमोहिंदर सिंह प्रधान[4] के प्राधिकरण का हवाला दिया, जिसमें यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 9-ए की सरल पढ़ाई से यह आवश्यकता है (i) कि वहाँ एक जारी अनुबंध होना चाहिए जिसे उस व्यक्ति ने दर्ज किया हो जिसकी उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराया जा रहा हो सरकार के साथ: (ii) वह अनुबंध सरकार को सामान की आपूर्ति के लिए हो या (iii) अनुबंध सरकार द्वारा किए गए किसी भी काम के निष्पादन के लिए हो।

28. उसके बाद, विद्वान अधिवक्ता ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के कुछ संबंधित अनुभागों का हवाला दिया, जिन्हें नीचे निकाला गया है:

> “परिभाषाएँ:
>
> 3. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो:
>
> (ख) & (ख) xxx xxx xxx
>
> (ग) "खनन पट्टा" का अर्थ खनन कार्यों को करने के उद्देश्य से दिया गया पट्टा है, और इसमें ऐसे उद्देश्य के लिए दिया गया उप-पट्टा भी शामिल है;
>
> (घ) "खनन कार्य" का अर्थ किसी भी खनिज को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए कोई भी कार्य है;
>
> (ङ) अभिव्यक्तियों "खदान" और "मालिक" को 1952 के खान अधिनियम में उन्हें दिए गए अर्थ दिए गए हैं।
>
> खोज या खनन कार्य प्राधिकरण या पट्टे के अंतर्गत:
>
> 4. (1) और (2) xxx xxx xxx

---

[2] एआईआर 1963 एम.पी. 316

[3] 1979 ए.पी. 132

[4] 1999 (4) एससीसी 517

(3) कोई भी राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के साथ पूर्व परामर्श के बाद और धारा 18 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, उस राज्य के किसी भी क्षेत्र में पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में पुनर्वलोकन, खोज या खनन कार्य कर सकती है जो पहले से किसी पुनर्वलोकन परमिट, खोज लाइसेंस या खनन पट्टे के तहत नहीं है।

खोज लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए दिए जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्रफल:

6. (1) xxx xxxx xxx

(2) इस धारा के उद्देश्य के लिए, एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, या उसके द्वारा, एक पुनर्वलोकन परमिट, खोज लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए इरादा किया गया है, उसे स्वयं प्राप्त करने वाला माना जाएगा।

खोज लाइसेंस प्रदान किए जाने या नवीनीकृत किए जाने के लिए अवधि:

(1) एक पुनर्वलोकन परमिट या खोज लाइसेंस जो प्रदान किया जा सकता है उसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) एक खोज लाइसेंस, यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि खोज कार्यों को पूरा करने के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता है, तो ऐसी अवधि या अवधियों के लिए नवीनीकृत की जा सकती है जैसा कि उस सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके:

बशर्ते कि खोज लाइसेंस के लिए प्रदान की गई कुल अवधि पाँच वर्ष से अधिक न हो।

xxx xxx xxx xxx

खनन पट्टे प्रदान किए जाने या नवीनीकृत किए जाने के लिए अवधि:

8. (1) एक खनन पट्टा जिसके लिए अधिकतम अवधि प्रदान की जा सकती है वह तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी:

प्रदत्त कि किसी भी ऐसे खनन पट्टे के लिए प्रदान की जाने वाली न्यूनतम अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी।

xxx xxx xxx xxx

लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियां:

(1) xxx xxx xxx xxx

(1A) xxx xxx xxx

(क) वह व्यक्ति जिसके द्वारा और जिस तरीके से, खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और इसके लिए देय शुल्क :

xxx xxx xxx

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत नियम बनाए जाने तक, किसी राज्य सरकार द्वारा लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के

प्रदान को विनियमित करने वाले कोई भी नियम जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तुरंत पहले प्रभाव में हैं, प्रभाव में बने रहेंगे।

विकास खनिज:

18. (1) xxx xxx xxx
(2) xxx xxx xxx
(3) इस धारा के अंतर्गत बनाए गए सभी नियम सरकार पर बाध्यकारी होंगे।

29. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने खान अधिनियम, 1952 के कुछ धाराओं का भी उल्लेख किया जो निम्नलिखित हैं:

2. परिभाषाएं- [(1)] इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से (झ) xxx xxx xxx
(ञ) "खान" से कोई ऐसा उत्खात अभिप्रेत है जहां खनिजों की तलाश या अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए कोई संक्रिया चलाई गई है या चलाई जा रही है और निम्नलिखित इसके अन्तर्गत आते हैं:-
(i) सब बोरिंग, बोर छिद्र और तेल कूप और समनुषंगिक अपरिष्कृत अनुकूलन संयंत्र जिनके अन्तर्गत तेल क्षेत्रों के भीतर खनिज तेल ले जाने वाला पाइप भी है;
(ii) खान में के या उसके पार्श्वस्थ और खान के सब कूपक, चाहे वे गलाए जा रहे हों या नहीं;
(iii) अनुखनन के अनुक्रम में सब समतलिकाएं और आगत समतथ;
(iv) सब विवृत खनित;
(v) खनिजों या अन्य वस्तुओं को खान में लाने या वहां से हटाने या वहां से कचरा हटाने के लिए उपबन्धित सब प्रवहणियां या आकाशी रज्जुमार्ग;
(vi) खान में के या उसके पार्श्वस्थ और खान के सब एडिट, समतलिकाएं, समपथ, मशीनरी, संकर्म, रेल, ट्रामवे और साइडिंग;
(vii) खान में या उसके पार्श्वस्थ चलाए जाने वाले सब संरक्षा संकर्म;
(viii) और (ix) xxx xxx xxx
(x) खान के स्वामी के अन्य अधिभोग में के कोई परिसर जो बालू या खान में उपयोग के लिए अन्य पदार्थ जमा करने अथवा खान का कचरा डालने के लिए तत्समय उपयोग में लाए जा रहे हैं या जिनमें ऐसी बालू, कचरे या अन्य पदार्थ के सम्बन्ध में कोई संक्रियाएं चलाई जा रही हैं;
(l) "मालिक", जब किसी खान के संबंध में प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति जो उस खान का या उसके किसी भाग का तत्काल स्वामी या पट्टेदार या कब्जेदार होता है और जिस मामले में खान का व्यापार किसी लिक्विडेटर या रिसीवर द्वारा संचालित किया जा रहा हो, ऐसा लिक्विडेटर या रिसीवर, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो केवल खान से रॉयल्टी, किराया या जुर्माना प्राप्त करता हो, या जो केवल उस खान का मालिक हो, किसी पट्टे, अनुदान या लाइसेंस के अधीन होते हुए उसके कामकाज के लिए, या केवल मिट्टी का मालिक हो और खान के खनिजों में रुचि न रखता हो; लेकिन किसी खान के कामकाज के लिए कोई ठेकेदार या उप-पट्टेदार इस अधिनियम के तहत उसी प्रकार से विषय होगा जैसे कि वह मालिक हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मालिक को किसी दायित्व से मुक्ति मिल जाए।

xxx xxx xxx

30. उन्होंने फिर पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं:

"2. परिभाषाएँ: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो:

(क) से (झ) xxx xxx xxx

(ञ) "अनुबंध" का अर्थ है सरकार की ओर से दिया गया एक अनुबंध, जो किसी खुली नीलामी या कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए निविदाएं आमंत्रित करके, जो निदेशक द्वारा सूचित किए गए हों, उसमें निर्दिष्ट किसी भी खनिज को प्राप्त करने, जीतने, काम करने और ले जाने के लिए। (ट) "ठेकेदार" का अर्थ है एक व्यक्ति या पक्ष जो इन नियमों के तहत किसी अनुबंध का धारक होता है।"

31. विश्वनाथ रेड्डी बनाम कोनप्पा रुद्रप्पा नाडगौडा और अन्य[5] के मामले का भी वकील द्वारा उल्लेख किया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि जब केवल दो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार होते हैं, और उनमें से एक के ऊपर एक वैधानिक अयोग्यता होती है, तो अयोग्य उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों को व्यर्थ गया माना जा सकता है, इस बात का कोई मतलब नहीं कि जिन मतदाताओं ने उसके लिए वोट दिया उन्हें उसकी अयोग्यता की जानकारी थी या नहीं और नए सिरे से मतदान की आवश्यकता नहीं है। यह यह नहीं कहना है कि जहां एक अकेली सीट के लिए मैदान में दो से अधिक उम्मीदवार हैं, और केवल एक ही अयोग्य है। अयोग्यता के सबूत पर सभी उसके पक्ष में डाले गए वोट नकारे जाएंगे और सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुना गया घोषित किया जाएगा।

32. दूसरी ओर, श्री एस.सी. कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या १ के विद्वान अधिवक्ता ने भी रणजीत सिंह के मामले (उपरोक्त) का उल्लेख किया जिसमें यह व्यक्ति जिसके पास नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख के साथ-साथ नामांकन पत्र की जांच की तारीख पर भी राज्य सरकार के साथ शराब की बिक्री का सब्सिस्टिंग अनुबंध था, उसे ऐसा अनुबंध माना गया जो कि "उस सरकार द्वारा किसी भी माल की आपूर्ति के लिए या उस सरकार द्वारा किए गए किसी भी काम के निष्पादन के लिए" वाक्यांश के अंतर्गत नहीं आता था और इस प्रकार धारा 9-ए के अधीन अयोग्यता आकर्षित नहीं हुई थी। इसी प्रभाव की अधिकारिता सोमनाथ रथ बनाम बिक्राम के. अरुख और अन्य[6] के मामले में भी विद्वान अधिवक्ता ने उद्धृत की। फिर उन्होंने राम पाडारथ महतो बनाम मिश्री सिन्हा और अन्य[7] के मामले का उल्लेख किया जिसमें यह कहा गया था कि बैलमेंट का अनुबंध जिसमें बैली पर उसके गोदाम में खाद्यान्न को स्टॉक और संग्रहित करने की जिम्मेदारी डाली गई थी, उसे ऐसा अनुबंध नहीं कहा जा सकता था जो राज्य सरकार द्वारा धारा 7(डी) के अर्थ में अनुबंधित अनाज की बिक्री के लिए की गई सेवा के लिए था। विद्वान अधिवक्ता ने सी.वी.के. राव बनाम दंतु भास्कर

---

[5] एआईआर 1969 एससी 604

[6] 1999 (9) एससीसी 538

[7] एआईआर 1961 एससी 480

राव[8] के मामले का भी उल्लेख किया जिसमें यह कहा गया था कि प्री-एम्प्शन का अधिकार ऐसे अनुबंध के लिए नहीं माना जाता था जो माल की आपूर्ति के लिए होता है और जो पक्षों के बीच मौजूद कहा जा सकता है। बी. लक्ष्मीकांता राव के मामले में (उपरोक्त) भी जिसे प्रतिवादी संख्या १ के विद्वान अधिवक्ता ने उद्धृत किया, यह कहा गया था कि विधायी सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी भी योग्यता से ग्रस्त नहीं होने के कारण उस उम्मीदवार द्वारा राज्य सरकार के साथ किए गए अनुबंध जिसमें ताड़ी और अराक को बेचने के लिए समझौता किया गया था, धारा 9-ए की दुष्टता के अंतर्गत नहीं आते थे क्योंकि वे न तो सरकार को माल की आपूर्ति के लिए थे और न ही सरकार द्वारा किए गए किसी भी काम के निष्पादन के लिए थे।

33. प्रतिवादी संख्या १ के लिए वकील ने अज़हर हुसैन बनाम राजीव गांधी[9] के मामले में शीर्ष अदालत के अधिकार का भी उल्लेख किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ताओं की याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण से संबंधित मौलिक तथ्यों और विशेषताओं को शामिल करने में असफलता के चलते, याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की शक्ति प्रयोग की जा सकती है। धरतीपाकर मदन लाल अग्रवाल बनाम श्री राजीव गांधी[10], एयर और सरमंत बी. बटकृष्ण आदि बनाम जॉर्ज फर्नांडीज और अन्यों[11] के मामले भी इसी प्रभाव के हैं।

34. विद्वान अधिवक्ता की ओर से लंबाई में सुनवाई की गई है और मेरे मुद्दे वार निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

मुद्दा संख्या 1

35. मुद्दा संख्या १ से संबंधित यह कहा जा सकता है कि ऊपर वर्णित पूरी स्थिति के बाद कि याचिका की पैराग्राफ ५,६,७,८ और ९ हरियाणा राज्य के माध्यम से राज्यपाल और प्रतिवादी संख्या १ के बीच हुए पांच अनुबंधों का उल्लेख करते हैं जिसमें तारीखें, निर्दिष्ट खनिज का प्रकार और जगह जहां से निष्कर्षण किया जाना था, का उल्लेख किया गया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिका में किसी भी सामग्री की कमी है या किसी विशेष विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है जिसे कारण की कार्रवाई के रूप में माना जा सकता है। उपरोक्त समझौतों का क्रियान्वयन वास्तव में विवादित नहीं है। प्रतिवादी संख्या १ का मामला बल्कि यह है कि ऐसे समझौतों का निष्पादन अधिनियम की धारा ९-ए के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है। हर मामले की अपनी-अपनी विशेष परिस्थितियां और तथ्य होते हैं। यहां तक कि समझौतों की तारीखें और अन्य विवरण भी याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची में उल्लेखित हैं। यहां तक कि प्रतिक्रिया इतनी विस्तृत है कि यह याचिका में किए गए मूल आरोपों को दोहराती है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में इस चुनावी याचिका का निर्णय शुरू में और प्रारंभिक चरण में न केवल याचिकाकर्ता के लिए बल्कि प्रतिवादी संख्या १ के लिए भी मुकदमे का इनकार हो सकता

---

[8] एआईआर 1965 एससी 93

[9] एआईआर 1986 एससी 1253

[10] एआईआर 1987 एस.सी. 1577

[11] एआईआर 1969 एस.सी. 1201

था। मुद्दा संख्या १ प्रतिवादी संख्या १ के खिलाफ और याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णीत होता है।

मुद्दा संख्या 2

36. उक्त अनुबंधों में शर्तों और नियमों का विस्तार से वर्णन है, लेकिन अनुबंध के प्रासंगिक अंश जिनकी प्रति प्रदर्शनी पी1 है, यहाँ निचे उद्धृत किये जा सकते हैं:-

"यह प्रतिज्ञापत्र बनाया गया इस 10 जून, 1980 को हरियाणा के गवर्नर के बीच, जो कि समय-समय पर उद्योग निदेशक, हरियाणा, श्री धनेंदर कुमार, आई.ए.एस. (जिन्हें यहां आगे 'राज्य सरकार' के रूप में संदर्भित किया जाएगा जिस अभिव्यक्ति को जहां संदर्भ अनुमति देता है, उनके उत्तराधिकारी और हस्तांतरणीयों को शामिल करने के लिए माना जाएगा) के एक भाग के रूप में; और मेसर्स मोहन राम एंड कंपनी, एल-116 कीर्ति नगर, नई दिल्ली (जिन्हें यहां आगे 'पट्टेदार' के रूप में संदर्भित किया जाएगा जिस अभिव्यक्ति को जहां संदर्भ अनुमति देता है, उन सभी कहे गए भागीदारों को उनके संबंधित वारिसों, विलेखकों, कानूनी प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त हस्तांतरणीयों को शामिल करने के लिए माना जाएगा) के माध्यम से उसके भागीदारों के द्वारा।

xxx xxx xxx

भाग १
पट्टे का स्थान और क्षेत्रफल :
इस पट्टे का क्षेत्रफल

वह सभी भूमि क्षेत्र जो गांव अनंगपुर तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में स्थित है, जिसमें खसरा संख्याएँ निम्नलिखित विवरणों के अनुसार शामिल हैं:-

गाँव	तहसील	जिला	खसरा नं.	क्षेत्र		
					बीघा	बिसवास
अनंगपुर	बल्लभगढ़	फरीदाबाद	41	0	10	00
			42	0	10	00
			51	0	10	00
			52	0	10	00
			53	0	10	00
			54	0	10	00
			59	0	10	00

कुलः 70 00
0
या
60 हेक्टेयर

मापने वाला 60 हेक्टेयर जो योजनाओं पर भी चिन्हित है और यहाँ संलग्न है और वहाँ रंगों से पहचाना गया है, जिसे आगे "कहा गया भूमि" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

भाग II

पट्टेदार द्वारा भाग III के प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग की जाने वाली स्वतंत्रताएँ, शक्तियाँ और विशेषाधिकार।

XXX XXX XXX

भाग V

इस पट्टे द्वारा आरक्षित किराया और रॉयल्टी।

1 और 2 xxx xxxx xxxx

रॉयल्टी का दर और भुगतान की विधि

३. इस भाग के प्रावधान १ के अधीन, पट्टेदार इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान ऐसे समय और ऐसे तरीके से जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है, उस राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करेगा जो उसके द्वारा पट्टे वाले क्षेत्र से निकाले गए किसी भी खनिज के संदर्भ में हो, जिस दर से समय-समय पर खानों और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ के दूसरे अनुसूची के आइटम २४ के अंतर्गत निर्दिष्ट है।

भाग-VII

पट्टेदार के वादे

(१) और (२) xxx xxx xxx

एक वर्ष के भीतर परिचालन आरम्भ करना और कार्यकुशल तरीके से काम करना।

३. जब तक राज्य सरकार अच्छे कारण से अन्यथा अनुमति न दे, पट्टेदार पट्टे की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिचालन आरम्भ करेगा और उसके बाद सदैव पट्टे की अवधि के दौरान उक्त खनिजों के लिए खोज, कार्य और विकास किए बिना स्वेच्छा से अंतराल के बिना एक कुशल और कार्यकुशल तरीके से और यहां के अनुसार अनुसूची १२ के अनुसार कार्य करेगा, बिना किसी आवश्यक या टालने योग्य क्षति को उक्त भूमि की सतह या वहाँ की फसलों, इमारतों, संरचनाओं या अन्य संपत्ति को होने देने के बिना। इस खंड के उद्देश्यों के लिए परिचालन में मशीनरी की स्थापना, ट्रामवे का निर्माण या खान से संबंधित सड़क का निर्माण शामिल होगा।

(४) से (६) xxx xxx xxx

कार्य की जांच की अनुमति देना

७. पट्टेदार किसी भी अधिकारी को, जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किया है, पट्टे में शामिल किसी भी इमारत, खुदाई या भूमि पर प्रवेश करने की अनुमति देगा, ताकि जांच, परीक्षण, सर्वेक्षण, प्रोस्पेक्टिंग और उसके नक्शे बनाने, नमूने लेने और डेटा इकट्ठा करने के लिए, और पट्टेदार पट्टे द्वारा नियोजित उचित व्यक्ति के साथ सहयोग करेगा और खानों और कार्य के साथ परिचित होने वाले अधिकारी, एजेंट, सेवक और कार्यकर्ता को हर ऐसी जांच को संचालित करने में प्रभावी रूप से सहायता करेगा और उन्हें खानों के कामकाज से जुड़ी सभी सुविधाएँ और जानकारी प्रदान करेगा जो उन्हें उचित रूप से आवश्यक हो सकती है और इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के आदेशों और विनियमों का पालन करेगा, जो जांच के परिणामस्वरूप या अन्यथा समय-समय पर लागू करना उचित समझें।

उत्पादन और कर्मचारियों आदि के बारे में रिकॉर्ड और खाते रखना

१०. पट्टेदार सदैव उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि पर या उसके निकट स्थित कार्यालय में, सही और समझने योग्य खाता पुस्तकें रखेगा या रखने के लिए कारण होगा जिसमें समय-समय पर सटीक प्रविष्टियाँ होंगी जो दिखाएगी

(१) से (६) xxx xxx xxx

(७) ऐसे अन्य तथ्य, विशेषताएं और परिस्थितियाँ जैसे कि केंद्र या राज्य सरकार समय-समय पर माँग सकती है और ऐसे अधिकारियों को मुफ्त में और ऐसे समय पर जैसे केंद्र और राज्य सरकार नियुक्त करे, सच्चे और सही सारांश की आपूर्ति करनी होगी सभी या किसी भी ऐसे लेखा खातों के और ऐसी जानकारी और विवरणों की आपूर्ति करनी होगी सभी या किसी भी उपरोक्त मामलों के लिए जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करे और सभी उचित समयों पर ऐसे अधिकारियों को जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस संबंध में नियुक्त करे, को प्रवेश की अनुमति देनी होगी और उन्हें कहे गए अधिकारियों के लिए उद्देश्य के लिए मुफ्त पहुंच प्रदान करनी होगी जिसमें उक्त लेखा खातों, योजनाओं और रिकॉर्डों की जाँच और निरीक्षण करना और उनकी प्रतियां बनाना और उनसे निकालना शामिल है।

११. xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

पट्टेदार को केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत हो, सभी उचित समयों पर उसी का निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी। उसे राज्य सरकार/कोल कंट्रोलर/डायरेक्टर जनरल, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत/कंट्रोलर, भारतीय खान ब्यूरो से, जब भी पूछा जाए, एक समग्र योजना की आपूर्ति करनी होगी जिसमें सभी सीमों की मोटाई, झुकाव, झुकाव आदि दिखाया गया हो और साथ ही रिजर्व की मात्रा क्वालिटी के हिसाब से भी।

१२. xxx xxx xx xxx

१३. xx xx xxx xxx

पट्टेदार को राज्य सरकार को उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय उक्त खनिजों को तौलने और उनके खातों को रखने और उन्हें जाँचने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति देनी होगी। पट्टेदार को हर ऐसी मापने या तौलने की सूचना ७ दिन पहले लिखित में उपायुक्त/कलेक्टर को देनी होगी ताकि उसके नाम पर किसी अधिकारी को वहाँ उपस्थित होने के लिए मौजूद किया जा सके।

१४ से २२ xxx xxx xxx

राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वसूली।

२३. अगर पट्टेदार द्वारा उस संबंध में उपरोक्त समझौतों के अनुसार आवश्यक कार्य या मामले निर्धारित समय के भीतर नहीं किए जाते हैं, तो राज्य सरकार उसे करवाने या प्रदर्शन करवाने के लिए कारण बन सकती है और पट्टेदार को उक्त कार्य या प्रदर्शन में आवश्यक खर्चों का भुगतान राज्य सरकार को मांग पर करना होगा और राज्य सरकार का फैसला ऐसे खर्चों के बारे में अंतिम होगा।“

37. अनुबंध प्रदर्शनी पी2 से पी5 तक की अन्य अनुबंधों की शर्तें और नियम भी इसी तरह के, समान या उसी प्रकार के हैं।

38. याचिकाकर्ता के लिए वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि खनन और खनिजों की खुदाई के संचालन को सीधे हरियाणा सरकार द्वारा किया जाना था और प्रतिवादी संख्या १ को वही संचालन और कार्य करने थे और उक्त अनुबंधों के तहत किए गए संचालन अधिनियम की धारा ९-ए के दायरे में आते हैं, इसलिए, प्रतिवादी संख्या १ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था। प्रतिवादी संख्या १ के लिए वकील ने आग्रह किया है कि जीतने वाले उम्मीदवार अर्थात प्रतिवादी संख्या १ इस अनुबंध से राज्य को कोई सामान नहीं दे रहे हैं और न ही कोई सामान देने का अनुबंध है। जब तक ऐसा न हो, याचिकाकर्ता का मामला अधिनियम की धारा ९-ए के तहत नहीं आ सकता। उन्होंने आग्रह किया कि प्रतिवादी संख्या १ बहुत समय से खनन व्यापार में थे और यह एक बहुत जाना-माना तथ्य था जनता के बीच। केवल रेत के निष्कर्षण और खनन के लिए अनुबंधों का अस्तित्व और मुनाफा कमाना' इस उपर्युक्त विधि के चार कोनों के भीतर नहीं आता। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि समझौतों के आधार पर बड़े और छोटे खनिजों का निष्कर्षण हरियाणा सरकार द्वारा किए गए किसी कार्य के निष्पादन के बराबर नहीं है और यह उनके द्वारा उद्धृत अधिकारों को देखते हुए और पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है।

39. विवाद को ठीक से समझने के लिए, अधिनियम की धारा ९-ए को जो निम्नलिखित है उसे पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

"9-ए सरकारी अनुबंधों आदि के लिए अयोग्यता:

एक व्यक्ति अयोग्य होगा अगर, और जब तक, उसके द्वारा उसके व्यापार या व्यवसाय के क्रम में उपयुक्त सरकार के साथ वस्तुओं की आपूर्ति के लिए, या उस

सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए एक अनुबंध में प्रवेश किया गया हो और वह अनुबंध जारी रहे।"

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां एक अनुबंध को उस व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से प्रदर्शन किया गया है जिसने संबंधित सरकार के साथ उसमें प्रवेश किया है, उसे केवल इस कारण से नहीं माना जाएगा कि सरकार ने अपने अनुबंध का हिस्सा या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से नहीं निभाया है।"

40. जो स्थिति प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है, वह यह है कि विवाद में अनुबंध सरकार द्वारा किए गए किसी कार्य के निष्पादन के लिए थे। यह पक्षों का स्वीकृत मामला है कि जिन खानों से प्रतिवादी संख्या १ को उपरोक्त अनुबंधों के तहत छोटे और बड़े खनिजों का निष्कर्षण करने की अनुमति दी गई है, वे हरियाणा राज्य के हैं। छोटे और बड़े खनिजों के निष्कर्षण के लिए अनुबंध खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए प्रदान करने के लिए प्रोमुलगेट किया गया था। उक्त अधिनियम के धारा 2 के अंतर्गत यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि केंद्र सरकार को खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के नियंत्रण को अपने अधीन लेना चाहिए, जैसा कि यहाँ प्रदान किया गया है। खनिजों को छोटे खनिज और अन्य सभी खनिजों में विभाजित किया गया है। अधिनियम की धारा 4 से 13 तक धारा 14 के गुण से उन पर लागू नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, खोज और खनन संचालन करने पर सामान्य प्रतिबंध जो धारा 4 से 12 में निहित हैं, वे छोटे खनिजों पर लागू नहीं होते हैं। धारा 15 के अनुसार, राज्य सरकार को छोटे खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। हालांकि छोटे खनिजों और अन्य सभी खनिजों को अलग व्यवहार दिया जाता है, अधिनियम की धारा 2 में देखी गई घोषणा दोनों खनिजों की श्रेणियों को समेटती है। केंद्रीय अधिनियम का दूसरा उद्देश्य खनिजों का विकास है। धारा 18 के अनुसार भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने का दायित्व केंद्र सरकार पर डाला गया है और इस संबंध में नियम बनाने के लिए नई खानों को खोलने और खनन संचालनों के विनियमन, खनिजों की खुदाई और सामान्य रूप से खानों के विकास के लिए प्रावधान करना।

41. उपर्युक्त के अध्ययन से पता चलता है कि खानों का नियमन और खनिजों का विकास सरकार के नियंत्रण में है और यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है कि वह उक्त कार्य को करे। हालांकि, अधिनियम निजी व्यक्तियों को खनिजों के निष्कर्षण के लिए पट्टे/लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति देता है जिन पर पट्टे/लाइसेंस में निर्धारित शर्तें और नियम लागू होते हैं। सरकार द्वारा उठाया जाने वाला कार्य पट्टेदार द्वारा पट्टे/लाइसेंस के तहत निष्पादन के लिए होता है जो पार्टियों के बीच एक समझौता होता है। इस प्रकार, एक बार जब किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण या अल्प खनिजों के निष्कर्षण के लिए एक पट्टा अनुबंध के तहत प्रदान किया जाता है, इसका मतलब होता है सरकार द्वारा उठाए गए कार्यों का निष्पादन के लिए एक अनुबंध, और यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा ९-ए के दायरे में आता है।

42. अनुबंध प्रदर्शनी आर1 से आर5 की शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या १ को अनुबंध धन का भुगतान करना होगा। यहां तक कि अनुबंध धन के विलंबित भुगतान के

लिए ब्याज के भुगतान के लिए भी एक धारा है। अनुबंधों में यह विशेष रूप से उल्लिखित है कि कहां क्वारी संचालन की अनुमति है और कहां यह अनुमति नहीं है। अनुबंधों में यह भी उल्लेख है कि ठेकेदार को निर्धारित क्षेत्र से उठाए गए और भेजे गए खनिजों की कुल मात्रा देने वाली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिपोर्ट और रिटर्न भी जमा करने होते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पट्टा दस्तावेज़ों/अनुबंधों की शर्तें और नियम समान प्रकृति के हैं।

43. अनुबंध की धारा २० के अनुसार, ठेकेदार को सरकार को कार्यान्वित स्थिति में खदान का कब्जा सौंपने का दायित्व है। धारा २१ के अनुसार, ठेकेदार को बिना हरियाणा के खान और भूविज्ञान निदेशक से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई नई खदान खोलने का अधिकार नहीं है। अनुबंध की विभिन्न धाराओं के संयुक्त पठन से स्पष्ट होता है कि ठेकेदार सरकार का एजेंट है और सरकार की ओर से अनुबंध को निष्पादित कर रहा है। अनुबंध के ऐसे नियमों और शर्तों के मद्देनजर, यह निश्चित रूप से अधिनियम की धारा ९-ए के दायरे में आएगा और ऐसे अनुबंधों के जारी रहते हुए, मेरे विचार में प्रत्युत्तरी संख्या १ चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था।

44. भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 में किसी राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ निर्धारित की गई हैं और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नियुक्त है, तो वह विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य रहने के लिए अयोग्य होगा। सरकार के लाभ के पद धारकों को राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने से वंचित करने का कारण यह है कि ऐसा व्यक्ति कार्यकारी के स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर सकता जिसका वह एक भाग है। इसी तरह की तुलना अधिनियम की धारा 9-ए में लागू की गई है जिसके अनुसार सरकार को सामान की आपूर्ति के लिए या किसी सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध रखने वाला व्यक्ति राज्य विधानमंडल या संसद के किसी भी चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अयोग्य होगा। वर्तमान मामले में भी अनुबंध के पक्षकार होने के नाते कार्यकारी अर्थात् राज्य सरकार अनुबंध के शर्तों के अनुसार उसके निष्पादन से उसे रोकने के लिए राज्य विधानमंडल के सदस्य पर अपना प्रभाव डाल सकती है। इसी तरह से एक सदस्य भी कार्यकारी (यानी राज्य सरकार) पर अनुबंध से आर्थिक लाभ निकालने के लिए अपना प्रभाव डाल सकता है। मेरे दृष्टिकोण से यदि कोई सदस्य किसी ऐसे अनुबंध में शामिल है जिसमें कार्यकारी भी एक पक्षकार है, तो वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता और इस प्रकार वह संविधान के अनुच्छेद 191 या अधिनियम की धारा 9-ए के तहत अयोग्य होने के लिए उत्तरदायी है।

45. भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ के अनुसार भी, एक अनुबंध एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय समझौता है, जिसमें दो तत्व होते हैं, अर्थात, एक समझौता और एक बाध्यता। संविदा अधिनियम की धारा २५ के अनुसार बिना विचारशीलता का समझौता शून्य है, जिसका अर्थ है कि एक वैध अनुबंध में विचारशीलता या बाध्यता होनी चाहिए। राज्य विधानसभा का एक सदस्य प्रभाव का अभ्यास कर सकता है ताकि विचारशीलता या बाध्यता को अपने लाभ के लिए प्रभावित किया जा सके। इसी तरह, कार्यपालिका भी सदस्य के नुकसान के लिए विचारशीलता को प्रभावित करने की धमकी देकर उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोक सकती है।

46. खनन पट्टा एक अनुबंध है जिसके अनुसार एक खनन पट्टाधारी ने प्रति टन खनिज के लिए राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में भुगतान करने का वचन दिया है जिसे पट्टा क्षेत्र से भेजा जाता है, उस अनुमति के बदले में जो राज्य सरकार द्वारा दी गई है जो मिनरल को खोदने के लिए है जो अन्यथा राज्य सरकार के स्वामित्व में है। राज्य खनिज का स्वयं दोहन करने के बजाय उसे पट्टाधारी/ठेकेदार को दे देता है जो उसे राज्य की ओर से करता है। खनन पट्टे के मामले में एक पट्टाधारी राज्य सरकार की ओर से खनिज जमा का दोहन करने का अनुबंध करता है और बदले में राज्य को रॉयल्टी का भुगतान करता है। इसलिए, एक खनन अनुबंध या खनन पट्टा एक सरकारी काम को सरकार की ओर से करने का अनुबंध है और अधिनियम की धारा 9-ए के अंतर्गत आता है। सदस्य और कार्यपालिका आपस में अपना प्रभाव डाल सकते हैं।

47. अधिनियम की धारा 9-ए के प्रावधानों और उसमें निहित कर्तव्यों की व्याख्या देना आवश्यक है और इसे उस प्रावधान के पीछे के आपत्ति को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाना चाहिए जिसे विशेष रूप से अधिनियम में संशोधन करके पेश किया गया था।

48. एक विधान विधायिका की एक आज्ञा है और एक विधान की व्याख्या या निर्माण का परंपरागत तरीका इसके निर्माता की मंशा को खोजना है। एक विधान को "उनकी मंशा के अनुसार जिन्होंने इसे बनाया है" के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए और "न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह विधायिका की सच्ची मंशा पर कार्य करे यानी मेन्स या सेंटेंशिया लेगिस"। एक आधुनिक राज्य में विधान कुछ सार्वजनिक बुराई को रोकने या कुछ सार्वजनिक लाभ को प्रभावित करने की किसी नीति से प्रेरित होता है। विधान मुख्य रूप से विधायिका के सामने आई समस्याओं को लेकर निर्देशित किया जाता है जो अतीत और वर्तमान अनुभव से प्राप्त जानकारी पर आधारित होता है। जब विधान का उद्देश्य और उद्देश्य या उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली भावना और आत्मा स्पष्ट हो, तो न्यायालय को ऐसे विधान की व्याख्या करते समय उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह उल्लेख करना उपयुक्त हो सकता है कि ईस्टमैन फोटोग्राफिक मैटेरियल्स कंपनी बनाम पेटेंट्स, डिज़ाइन और ट्रेड मार्क्स[12] के कंट्रोलर जनरल के निर्णय में, जिसमें हाल्सबरी के अल्र्स ने नियम को इस प्रकार पुष्टि की है:—

> "मेरे लॉर्ड्स, मुझे यह प्रतीत होता है कि प्रश्न में विधान की व्याख्या करने के लिए, न केवल वैध है बल्कि पूर्व के अधिनियम और उसके द्वारा उत्पन्न हुई बुराइयों के लिए और बाद के अधिनियम के लिए जो उपाय प्रदान करते हैं, दोनों का संदर्भ लेना अत्यंत सुविधाजनक है। इन तीनों की तुलना करते हुए, मुझे संदेह नहीं है कि निष्कर्ष।"

49. उच्चतम न्यायालय ने बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य[13] के मामले में संविधान के अनुच्छेद 286 की व्याख्या में नियम का प्रयोग किया। संविधान से पहले प्रांत में प्रचलित कानून की स्थिति का उल्लेख करते हुए, साथ ही विभिन्न प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा भौगोलिक संबंध के सिद्धांत पर स्थापित शक्तियों का अव्यवस्थित प्रयोग करके अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में उत्पन्न हुई अराजकता और भ्रम की ओर इंगित करने के बाद, एस.आर. दास, मुख्य न्यायाधीश ने कहना शुरू किया:-

---

[12] 1898 एसी 571 पृष्ठ 576
[13] एआईआर 1955 एससी 661

"यह बहुविध कराधान की दुष्प्रवृत्ति को दूर करने और भारतीय संघ को एक आर्थिक इकाई के रूप में बिना किसी प्रांतीय बाधा के अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की मुक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 286 को अपनाया।"

50. इसके अलावा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुराने अधिनियम के धारा 7(डी) की व्याख्या करते हुए, जो अधिनियम की धारा 9-ए के अनुरूप है, छत्तानाथा बनाम राम चंद्र[14], में यह माना है कि सरकारी वनों में पेड़ों को काटने और उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाने के लिए ढोने का अनुबंध पुराने अधिनियम के धारा 7(डी) के अंतर्गत आता है। इस संबंध में शीर्ष अदालत के प्राधिकरण महेंद्र कुमार बनाम श्रीमती विद्यावती[15] और अन्य का भी संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें यह माना गया था कि पार्ट सी राज्यों में मुख्य आयुक्त के साथ अनुबंध वर्ष 1951 के अधिनियम 49 की धारा 17 के साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 7 (डी) के तहत राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए अयोग्यता का कारण बनेगा।

51. स्वीकार्य है कि प्रतिवादी संख्या 1 फर्म मेसर्स मोहन राम एंड कंपनी का साझेदार है जिसे अनुबंध प्रदान किए गए हैं। यह स्थापित कानून है कि साझेदारी फर्म की कोई कानूनी पहचान नहीं होती है और वह अपने साझेदारों के नाम से जानी जाती है और साझेदार लेनदारों के प्रति संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं और उनकी दायित्व असीमित होती है। इसलिए, यहां तक कि अगर अनुबंध साझेदारी फर्म के नाम पर हैं तो भी वे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ अनुबंध होंगे जो कि एक साझेदार के रूप में लाभार्थी है।

52. प्रतिवादी पक्ष यह कहने में समर्थ नहीं हुआ है कि अधिनियम की धारा 9-ए के तत्वों से मामले को कैसे निकाला जाए। वास्तव में प्रतिवादी पक्ष वस्तुतः रक्षाहीन प्रतीत होता है और जब से उसने खनन संचालन के लिए खदानों के विशाल क्षेत्र को अधिकृत किया है, वह और भी संवेदनशील हो गया है क्योंकि वह राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य के लिए खनन संचालन करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका सिर और कान राज्य के नियंत्रण में हैं और जो राज्य से लाभ प्राप्त करता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा कभी भी रोका जा सकता है, विधान ने कभी भी उसे चुनाव लड़ने के लिए उचित व्यक्ति नहीं माना। यह मामला वस्तुओं की आपूर्ति का नहीं है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए अनुबंध का है, जिसमें लघु और प्रमुख खनिजों का उत्खनन किया जाना है। ऐसे मामले में जहां अनुबंधों का निष्पादन और यह तथ्य कि अनुबंध वास्तव में किए जा रहे हैं, प्रचलित अनुबंधों के तहत प्रतिवादी संख्या 1 नहीं निकल सकता।

53. इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों, विभिन्न अन्य सहायक विधानों और नियमों के दृष्टिकोण से और अनुबंधों की शर्तों के आलोक में, समूची स्थिति और दोनों पक्षों से तर्कों को देखते हुए, एकमात्र अविरोध्य निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह यह है कि अधिनियम की धारा 9-ए के प्रावधान पूरी तरह से मामले पर लागू होते हैं और प्रतिवादी संख्या 1 यह साबित नहीं कर पाया है कि उसका मामला धारा 9-ए के अधिनियम से परे था। बल्कि, याचिकाकर्ता अपने तर्कों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य ला

[14] एआईआर 1995 एससी 799
[15] एआईआर 1956 एससी 315

पाया है। इसलिए, मुद्दा संख्या 2 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध और याचिकाकर्ता के पक्ष में किया जाता है।

मुद्दा संख्या 3 और 4

54. ये दोनों मुद्दे स्पष्ट रूप से पिछले मुद्दे पर निर्भर हैं और जैसा कि उस मुद्दे के निर्णय से स्पष्ट है, यह माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या १ ने २२ फरवरी, २००० को आयोजित चुनाव में प्रतियोगिता करने के लिए अयोग्य था और यह भी माना जाना चाहिए कि उनके नामांकन पत्रों को गलत और अवैध रूप से स्वीकृत किया गया था। मुद्दा संख्या ३ और ४ याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या १ के खिलाफ निर्णीत किए जाते हैं।

मुद्दा संख्या 5

55. मुद्दा संख्या 5 पर आते हुए याचिकाकर्ता ने उक्त पैम्फलेट्स का प्रकाशन किया था और मतदाताओं को पर्याप्त रूप से घोषणा की थी कि प्रतिवादी संख्या 1 उम्मीदवार बनने के लिए सक्षम नहीं था और याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए गवाहों को नकारने का कोई कारण नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुझाव देता हो कि पैम्फलेट्स बाद में गढ़े गए थे। यह महत्वहीन है कि उसने नामांकन पत्रों की जांच के समय कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। अगर किसी व्यक्ति के उम्मीदवारी में कोई मौलिक दोष है तो वह अदालत में आ सकता है और राहत मांग सकता है। एक व्यक्ति जो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं था, उसे विधान सभा का सदस्य के रूप में जारी नहीं रखने दिया जा सकता और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 का चुनाव अवैध माना जाता है और याचिकाकर्ता को विधान सभा चुनाव में प्राप्त वैध मतों के मद्देनज़र निर्वाचित घोषित करने के लिए कोई बाधा नहीं है। याचिकाकर्ता ने साबित किया है कि उसने अपने चुनाव अभियान में कोई अवैधता नहीं की। मुद्दा संख्या 5 याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

राहत

56. उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, याचिका सफल होती है और केवल प्रतिवादी संख्या १ का चुनाव अवैध और असंवैधानिक होने के कारण रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता श्री हरि सिंह नलवा को १८-स्मालखा निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है, जैसा कि प्रार्थना की गई थी, और खर्च के रूप में जो कि रुपये १०,००० पर मात्रांकित किए जाते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा